न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीएसएम.नं. 2024/490
मुकदमा नम्बर 173/2024 दायर दिनांक–25.10.2024

सुन्दरी पत्नी मेहर सिह जाति जाट निवासी ग्राम खिरोड, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनूं

...........आवेदकगण

बनाम

1. केशर पुत्री मूलाराम
2. जगदीश पुत्र मूलाराम
3. जयपाल सिंह पुत्र मूलाराम
4. दयानन्द पुत्र लेखूराम
5. दानाराम पुत्र लेखूराम
6. बिमला पुत्री मूलाराम
7. मनभरी पुत्री मूलाराम
8. महेश पुत्र मूलाराम
9. रणजीत सिंह पुत्र मूलाराम
10. श्रीचन्द पुत्र लेखूराम
11. सुनिता पुत्री लेखूराम
12. सम्पति पुत्री मूलाराम
13. भूराराम पुत्र झाबरमल समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम खिरोड तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनूं (राज0)
14. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

..........अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं. धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वकील आवेदक–श्री सज्जन चाहर
अनावेदकगण 1लगा.13 – एक पक्षीय
अनावेदकगण 14 – पैरो. राज.

:–निर्णय–:

दिनांकः–02/06/2025

यह प्रा0 पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 को इस कदर पेश किया गया कि, राजस्व ग्राम खिरोड में स्थित भूमि खाता सं. नया 716 पुराना 558 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 341 रकबा 0.40 है0 में आने जाने हेतु संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार खसरा नं. 338 में से होकर ख.नं. 341 तक ए से बी बिन्दू तक 10 फीट चौडा व 1000 फिट लम्बा रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रा0 पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण कि जारी की गई। अनावेदक सं. 1 लगा.13 बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहे अतः इस प्रकरण में इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक सं. 14 कि और से पैरो. राज. उपस्थित। तहसीलदार नवलगढ़ से रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/878 दिनांक 09.12.2024 पेश हुई। जिसके अनुसार ग्राम खिरोड की भूमि खसरा नं. 341 रकबा 0.40 है0 किस्म आवसीय आबादी की दर्ज है। अपनी आवासीय गुवाडी में आने जाने के लिये रास्ता चाहा है। आवेदक द्वारा चाहा गया ए से बी बिन्दू तक का रास्ता खसरा नं. 338 रकबा 0.10 है0 मौके पर प्रचलित रास्ते के रूप मे चालू है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

बहस प्रा. पत्र एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट से जाहिर है कि ग्राम खिरोड की भूमि खसरा नं. 341 रकबा 0.40 है0 किस्म आवसीय आबादी की दर्ज है। अपनी आवासीय गुवाडी में आने जाने के लिये रास्ता चाहा है। आवेदक द्वारा चाहा गया ए से बी बिन्दू तक का रास्ता खसरा नं. 338 रकबा 0.10 है0 मौके पर प्रचलित रास्ते के रूप मे चालू है। ऐसी सूरत में यह प्रा. पत्र 251(क) आर.टी.ए. का पोषणीय नही है।

लिहाजा आवेदक की भूमि की किस्म आवासीय आबादी होने तथा मौके पर प्रचलित रास्ता होने के कारण यह प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित नही होने से खारीज किया जाता है। परन्तु पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि,यदि उक्त रास्ता प्रचलित है तो सभी सहखातेदारों की सहमति के साथ धारा 131,132 एल.आर.एक्ट के तहत गै.मु.रास्ता दर्ज करने हेतु प्रस्ताव पृथक से पेश करें। पटवारी हल्का खिरोड को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 02/06/2025 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ ,जिला–झुझुंनू